

—:शपथ पत्र:—

मैं वचन देता हूँ/देती हूँ कि मुझे एल.आई.जी.2BHK/3BHK(प्रकोष्ठ) आवंटन होने की स्थिति में :

1. उपरोक्त सभी नियम/शर्तों मेरे द्वारा पढ़कर समझ लिया गया है। मुझे समझा दी गई है। मैं उक्त नियम/शर्तों का पालन करने वचन देता हूँ/देती हूँ
2. मैं भवन का उपयोग केवल आवास हेतु करूंगा/करूंगी।
3. मैं प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किश्त एवं अन्य प्रभार जो समय-समय पर भारित होंगे, का नियमित रूप से भुगतान करूंगा/करूंगी।
4. मैं शासन/स्थानीय शासन द्वारा निर्धारित प्रभार/कर आदि का नियमित रूप से भुगतान करूंगा/करूंगी।
5. मेरे अथवा परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के नाम पर भवन, आवासीय भूखण्ड अथवा **प्रकोष्ठ** भवन नहीं है अथवा आवंटन हेतु परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा पंजीयन नहीं कराया गया है।
6. भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन या तोड़-फोड़ नहीं करूंगा/करूंगी।
7. मेरी/मेरे परिवार की **वार्षिक** आय शब्दों मेंरूपये है।
8. मैं जिला में विगत **वर्षों** से निवास कर रहा हूँ/रही हूँ।
9. मुझे नियम शर्तों की कंडिका क्रमांक 01 से लेकर 14 तक मान्य हैं तथा वह सभी प्रकार के प्राधिकरण के नियमों का पालन करूंगा/करूंगी।

आवेदिका/आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

पिता/पति

पता

.....

फोन नं. मो.नं.